



राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, एकलव्य भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017
दूरभाष: 0141-2715551 E-mail: csr.edu.raj@gmail.com



क्रमांक : रा.मा.शि.प/जय/सीएसआर/मीडिया/2017/1105

दिनांक : 12/2/2018

जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय)
समस्त जिले

विषय: समस्त राजकीय विद्यालयों में गठित पुरातन छात्र परिषद् के सदस्यों सूचनाएँ शाला दर्पण पर प्रविष्ट करने के सम्बन्ध में ।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के परिपत्र दिनांक 17-04-2017 के द्वारा समस्त राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालयी पूर्व विद्यार्थी मंच (पुरातन छात्र परिषद् - Alumni) के विधिवत गठन के लिए निर्देशित किया गया था। छात्र पंजीयन रजिस्टर (एस.आर. रजिस्टर) में उपलब्ध रिकॉर्ड की सहायता से अधिक-अधिक से पूर्व छात्रों का अभिलेख उनके विद्यालय त्याग के वर्ष के आधार पर तैयार किया जावें।

राज्य स्तर पर विद्यालयी पूर्व विद्यार्थी मंच के सदस्यों की वर्तमान कार्यक्षेत्र व सम्पर्क सूत्र की सूचना एकत्रित करने के लिए एक प्रपत्र तैयार किया गया है जो शाला दर्पण पर प्रारंभ किया जावेगा। शाला दर्पण पर प्रपत्र प्रारंभ होने से पूर्व पुरातन विद्यार्थियों को संस्था प्रधान की ओर से भेजे जाने वाले पत्र एवं सूचनाएँ एकत्रित करने हेतु प्रपत्र का प्रारूप संलग्न कर भेजा जा रहा है।

सभी जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले के समस्त राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधान को निर्देशित कर विद्यालय के पूर्व छात्रों को पत्र भेजने एवं सूचनाएँ एकत्रित करने हेतु हेतु निर्देश प्रदान करावें।

www.rajteachers.com

संलग्न: संस्था प्रधान की ओर से पूर्व विद्यालयी छात्रों को भेजा जाना पत्र व प्रपत्र

निदेशक मा.शि. बीकानेर का परिपत्र।


(सुरेश चन्द्र)

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- निजी सहायक, आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् जयपुर
- निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर
- निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक जयपुर
- अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् जयपुर
- उपायुक्त प्रथम, रामाशिप जयपुर
- प्रभारी अधिकारी, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, रामाशिप जयपुर
- उपनिदेशक, सीएसआर प्रकोष्ठ जयपुर
- रक्षित पत्रावली


अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक

कार्यालय प्रधानाचार्य

ब्लॉक जिला (राज.)

ई-मेल मोबाईल न./फोन न.

प्रिय छात्र/छात्रा
पूर्व छात्र, स्थानीय विद्यालय।

विषय:- स्थानीय विद्यालय में पुरातन छात्र परिषद् (ALUMNI) गठित कर सभी को विद्यालय विकास हेतु आमंत्रण।

प्रिय,

आपको यह जानकर हर्ष होगा कि स्थानीय विद्यालय में पुरातन छात्र परिषद् (ALUMNI) का गठन किया जा रहा है। गठित परिषद् में आपका सक्रिय सहयोग अपेक्षित है। इसी क्रम में सम्पर्क कोष के निर्माण हेतु आपसे निवेदन है कि संलग्न प्रपत्र में अपने बारे सूचनाएँ विद्यालय की ई-मेल आईडी पर प्रेषित करें। जिससे समय-समय पर विद्यालय में आयोजित किये जाने वाले समारोह/कार्यक्रमों तथा विद्यालय की उपलब्धियों के बारे में अवगत करा सकें तथा समय-समय पर उपस्थिति से छात्र-छात्राएँ लाभान्वित हो सकें।

विद्यालयों के विकास में सभी को सहभागी बनाने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा एक ऑन लाईन प्लेटफॉर्म ज्ञान संकल्प पोर्टल (www.gyansankalp.nic.in) का निर्माण किया गया है। इस पोर्टल पर उपलब्ध पांच श्रेणियों में एक Donate to A School श्रेणी में अपने विद्यालय को सहयोग प्रदान कर सकते हैं जिससे विद्यालय में अध्ययनरत आपके अनुज बालक-बालिकाओं को बेहतर सुविधाएँ प्राप्त हो सकें तथा अच्छी शिक्षा प्राप्त कर आपकी तरह अपने जीवन पथ पर सफल हो सकें।

आशा है कि आप विद्यालय परिवार से जुड़कर गौरवान्वित महसूस करेंगे।

शुभेच्छु

www.rajteachers.com

(.....)
संस्था प्रधान का नाम
मोबाईल न.
ई-मेल

Filled By Alumni of School

District:

Block:

School Name:

S.No.	Name of Alumni	Year in which they attended school (xxxx-yy)	Current Working Field (Tick Any One)	Institute/ Organization Name	Current Working Location	Current Post	Mobile No.	Email
			<input type="checkbox"/> Agriculture <input type="checkbox"/> Architecture, Designing & Planning <input type="checkbox"/> Arts & Entertainment <input type="checkbox"/> Business <input type="checkbox"/> Communications <input type="checkbox"/> Construction <input type="checkbox"/> Education <input type="checkbox"/> Engineering & Computer Science <input type="checkbox"/> Environment <input type="checkbox"/> Government <input type="checkbox"/> Health & Medicine <input type="checkbox"/> Home Maker (Including Housewife) <input type="checkbox"/> Law & Public Policy <input type="checkbox"/> Not-for-Profit <input type="checkbox"/> Sciences-Biological & Physical <input type="checkbox"/> Others					

कार्यालय – निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: परिपत्र ::

विषय :- राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में "विद्यालयी पूर्व विद्यार्थी मंच" के गठन एवं "सखा संगम" कार्यक्रम के आयोजन के सम्बन्ध में ।

राज्य के प्रत्येक बालक-बालिका हेतु उनके निवास के समीपवर्ती स्थान पर उच्च माध्यमिक स्तर तक की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं । इसके सुखद परिणाम के रूप में निकट भविष्य में ही राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में उच्च माध्यमिक स्तर तक की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता का लक्ष्य पूर्ण होने जा रहा है । गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्रत्येक विद्यार्थी तक सहज एवं व्यावहारिक पहुंच की निरन्तर सुनिश्चितता हेतु स्थानीय जन समुदाय की विद्यालय के प्रबन्धन एवं संचालन में सतत् भागीदारी आवश्यक है । इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभागीय निर्देशानुरूप विद्यालयों में अध्यापक-अभिभावक परिषद् तथा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC)/विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) जैसी प्रभावकारी समितियों के गठन का प्रावधान दीर्घ समय से चला आ रहा है । साथ ही शिविरा पंचांग में भी समस्त संस्था प्रधानों को विद्यालयों में समय-समय पर बालसभा एवं उत्सव आयोजन के अवसर पर स्थानीय क्षेत्र के सम्मानित व्यक्तियों, जो उसी विद्यालय से पढ़कर महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं, को आमंत्रित कर विद्यार्थियों को सम्बोधित करवाए जाने बाबत स्थाई निर्देश प्रदान किए गए हैं ।

उपर्युक्त तमाम प्रयासों तथा प्रावधानों के बावजूद भी स्थानीय जन समुदाय का विद्यालयों से जुड़ाव अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हो पाया है । स्थानीय समुदाय एवं अभिभावकों को विद्यालय से सार्थक एवं व्यक्तिगत रूप से जोड़े जाने हेतु इस सत्र में अध्यापक-अभिभावक परिषद् की बैठकों का आयोजन समुचित प्रचार-प्रसार के साथ भव्यता एवं धूमधाम से किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए थे, जिसके परिणाम अत्यन्त सुखद एवं सकारात्मक रहे हैं ।

राजकीय विद्यालयों में नामांकन वृद्धि के उद्देश्य से आगामी 26 अप्रैल से प्रवेशोत्सव कार्यक्रम प्रारम्भ होने जा रहा है, जिसमें स्थानीय जनसमुदाय एवं अभिभावकों की भागीदारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है । उक्त कार्यक्रम के प्रथम चरण (अवधि : 26 अप्रैल से 09 मई, 2017) के दौरान दिनांक : 29 अप्रैल, 2017 को स्थानीय परीक्षाओं के परिणाम की घोषणा के साथ ही अध्यापक-अभिभावक परिषद् तथा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) की साधारण सभा की संयुक्त बैठक का आयोजन समस्त विद्यालयों में किया जाना है । उक्त बैठक हेतु प्रदत्त विभागीय निर्देशों में समस्त संस्था प्रधानों को विद्यालय के शैक्षिक एवं भौतिक विकास को निरन्तरता प्रदान करने हेतु स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए विद्यालय में उक्त बैठक के दौरान "विद्यालयी पूर्व विद्यार्थी मंच" के विधिवत गठन की

कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु आदेशित किया गया है। प्रदत्त निर्देशानुसार उक्त मंच में विद्यालय में अध्ययन कर चुके समस्त पूर्व विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाना है, जिससे कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में नामचीन एवं लक्ष्मप्रतिष्ठ विद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों का पता लगाया जाकर उनका भावनात्मक एवं भौतिक जुड़ाव विद्यालय से किया जा सके। उपर्युक्त क्रम में समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में "विद्यालयी पूर्व विद्यार्थी मंच" का गठन एवं तदुपरान्त अग्रांकित विवरणानुसार कार्यवाही सम्पादित की जानी सुनिश्चित करावे :-

- 1 दिनांक : 29 अप्रैल, 2017 को विद्यालय में "विद्यालयी पूर्व विद्यार्थी मंच" के विधिवत गठन से पूर्व संस्था प्रधान, स्टाफ, SDMC सदस्यों तथा अभिभावकों के साथ ही स्थानीय क्षेत्र के प्रभावशाली एवं जानकार व्यक्तियों के सहयोग से विद्यालय में अध्ययन कर चुके अधिकाधिक पूर्व छात्रों की जानकारी जुटाते हुए पूर्व छात्रों को 29 अप्रैल को आयोज्य विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) तथा अध्यापक-अभिभावक परिषद् की संयुक्त बैठक में भाग लेने हेतु आमंत्रित करेंगे। उक्त विद्यालय में पूर्व के वर्षों में अध्ययन कर चुके समस्त व्यक्ति "विद्यालयी पूर्व विद्यार्थी मंच" के स्थायी सदस्य होंगे। आगामी 28-29 अप्रैल, 2017 को अक्षय तृतीया पर विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में अबूझ विवाह मुहुर्त के अवसर पर वैवाहिक समारोह हेतु एकत्रित स्थानीय समूह द्वारा SDMC सदस्यों एवं अभिभावकों के सहयोग से पूर्व छात्रों के सम्बन्ध में उल्लेखनीय एवं प्रभावकारी जानकारी जुटाई जा सकती है।
- 2 "विद्यालयी पूर्व विद्यार्थी मंच" की आगामी गतिविधियों के प्रभावी संचालन हेतु दिनांक: 29 अप्रैल, 2017 को उपस्थित पूर्व छात्रों का सम्मान एवं अभिनन्दन करते हुए उक्त मंच हेतु समय दे सकने वाले व्यक्तियों की कार्यकारी समिति (Working Committee) का निर्माण कर लिया जाए, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के साथ ही आवश्यकतानुसार संख्या में अन्य सदस्यों का मनोनयन पारस्परिक सहमति एवं विचार-विमर्श से कर लिया जाये।
- 3 "विद्यालयी पूर्व विद्यार्थी मंच" की कार्यकारी समिति द्वारा विद्यालय स्टाफ, स्थानीय क्षेत्र के उक्त विद्यालय में अध्ययनरत रहे पूर्व छात्रों तथा विद्यालय के छात्र पंजीयन रजिस्टर (S.R. Register) में उपलब्ध रिकॉर्ड की सहायता से विद्यालय के अधिकाधिक पूर्व छात्रों का अभिलेख उनके विद्यालय त्याग के वर्ष के आधार पर तैयार किया जाएगा। संस्था प्रधान द्वारा उक्त कार्य के समय पर निष्पादन हेतु विद्यालय स्टाफ में से एक सक्षम कार्मिक को उक्त कार्य हेतु विद्यालय स्तर पर प्रभारी नियुक्त किया जाकर "विद्यालयी पूर्व विद्यार्थी मंच" की कार्यकारी समिति का विशिष्ट सदस्य नामित किया जाएगा।

- 4 विद्यालय के पूर्व में अध्ययनरत रहे छात्रों का उनके विद्यालय त्याग के वर्ष के आधार पर वर्षवार संकलित डाटा में प्राप्त सूचना के अनुरूप निम्नलिखित उपलब्धता एवं विद्यालय में अध्ययनरत वर्षों एवं कक्षा का उल्लेख सम्मिलित किया जाए। ध्यान रहे, इस डाटा संग्रहण में विद्यालय की माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर पर क्या-क्या से पूर्व प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर पर समाप्ति के समय अध्ययनरत रहे पूर्व छात्रों का भी आवश्यक रूप से शामिल किया जाए। इस प्रकार से सूचीकृत किए गए पूर्व छात्रों के वर्तमान स्टेट्स का पता लगाए जाने हेतु हर सम्भव प्रयास के उपरान्त प्राप्त समस्त सूचनाओं का संकलन यथा स्थान संचारित कर लिया जाए।
- 5 विद्यालयी पूर्व विद्यार्थी मंच के गठन का मूल उद्देश्य समस्त राजकीय विद्यालयों में पूर्व छात्रों की "एल्युमिनी मीट" की तर्ज पर "सखा-संगम" कार्यक्रम का आयोजन कर विद्यालय में पूर्व में अध्ययनरत रहे अधिकाधिक छात्रों का भावनात्मक एवं भौतिक जुड़ाव विद्यालय से स्थापित करना है। समस्त विद्यालयों में प्रतिवर्ष "वार्षिकोत्सव" का आयोजन शिविरा पंचांग में स्थाई निर्देशों के रूप में सम्मिलित है। आगामी शैक्षिक सत्र में समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में "सखा-संगम" कार्यक्रम का भव्य आयोजन आवश्यक रूप से किया जाना है। वैकल्पिक तौर पर उक्त कार्यक्रम का आयोजन "वार्षिकोत्सव" कार्यक्रम, छात्रों के विदाई समारोह (आशीर्वाद एवं अभिवादन समारोह) अथवा अध्यापक-अभिभावक परिषद् की बैठक के साथ किये जाने पर भी विचार किया जा सकता है। उक्त कार्यक्रम में विद्यालय में पूर्व वर्षों में अध्ययनरत रहे छात्रों को सपरिवार कार्यक्रम में भाग लेने हेतु सम्मानजनक रीति से आमंत्रित कर उनकी अधिकाधिक संख्या में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
- 3 "सखा-संगम" कार्यक्रम का आयोजन आगामी शैक्षिक सत्र में समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों द्वारा पूर्ण उत्साह, उमंग एवं भव्य तरीके से धूमधाम तथा समारोहपूर्वक किया जाएगा। इस हेतु प्रारम्भ में आवश्यक तैयारियों हेतु विद्यालय विकास कोष/विद्यार्थी कोष से व्यय किया जा सकता है। "सखा-संगम" कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने हेतु उक्त कार्यक्रम का विस्तार विद्यालय स्टाफ, "SDMC की कार्यकारिणी समिति" तथा "विद्यालयी पूर्व विद्यार्थी मंच" के पारस्परिक विमर्श एवं समन्वय से किया जा सकता है, जिसके तहत उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, पूर्व छात्रों के परिवारजनों, विद्यालय स्टाफ एवं अध्ययनरत विद्यार्थियों के साथ क्षेत्र परिभ्रमण जैसे रचनात्मक एवं पारस्परिक जुड़ाव को बढ़ावा देने वाले क्रियाकलापों को शामिल किया जा सकता है।
- "सखा-संगम" कार्यक्रम में शामिल होने वाले पूर्व छात्रों का भावनात्मक जुड़ाव विद्यालय में उपस्थिति मात्र से ही हो जाना स्वभाविक है, परन्तु इस भावनात्मक जुड़ाव का लाभ भविष्य में विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के हितार्थ प्राप्त करना तथा स्थानीय समुदाय को भी प्रेरित करना संस्था प्रधान एवं विद्यालय स्टाफ की इच्छा

शक्ति एवं कौशल पर निर्भर करता है। संस्था प्रधान द्वारा स्टाफ एवं "विद्यालयी पूर्व विद्यार्थी मंच" के अभिरूचि सम्पन्न सदस्यों के सहयोग से इस कार्यक्रम के आयोजन को कल्पनाशीलता के विशिष्ट आयाम देकर प्रतिभागी पूर्व छात्रों हेतु अविस्मरणीय रूप दिया जा सकता है। बचपन के भूले-विसरे, विछुड़े दोस्तों/सहपाठियों से लम्बे अरसे बाद बचपन की विस्मृत खट्टी-मीठी यादों को संजोते हुए परिवार सहित पुनर्मिलन के ये पल उन्हें ताउम्र विद्यालय से जुड़ाव हेतु प्रेरित कर सकते हैं। दूसरी तरफ इस जुड़ाव का अप्रत्यक्ष लाभ पूर्व छात्रों में से समाज में महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली पदा पर आसीन एवं हैसियत सम्पन्न व्यक्तियों के सहयोग के रूप में विद्यालय की आधारभूत संरचना के सुदृढीकरण एवं भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी लिया जा सकता है।

8 "सखा-संगम" कार्यक्रम में भागीदारी निभाने वाले समस्त व्यक्तियों के समक्ष विद्यालय स्टाफ सदस्यों एवं विद्यार्थियों की व्यक्तिगत एवं सामुहिक उपलब्धियों की चर्चा आवश्यक रूप से की जाए तथा उत्कृष्ट उपलब्धि वाले विद्यार्थियों एवं शिक्षकगणों को सम्मानित किए जाने जैसी गतिविधियों को शामिल किया जा सकता है। इसी प्रकार वर्तमान में समाज में गौरवपूर्ण उपलब्धि अथवा ख्याति अर्जित कर विद्यालय का नाम रोशन करने वाले पूर्व छात्रों के अभिनन्दन का कार्यक्रम भी इसी दौरान रखा जा सकता है।

1 "सखा-संगम" कार्यक्रम में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के समक्ष SDMC को प्राप्त सहयोग राशि को आयकर अधिनियम की धारा-80 (G) के तहत आयकर से छूट हेतु विद्यालय द्वारा शासन के निर्देशानुरूप आयकर विभाग में पंजीयन हेतु की गई कार्यवाही से आवश्यक रूप से अवगत करवाया जाकर उक्तानुसार विद्यालय विकास हेतु जनसहयोग जुटाने में सहयोग प्रदान करने हेतु अनुरोध किया जाए।

2 विद्यालय के पूर्व छात्र रहे विद्यार्थियों को विद्यालय की "नामांकन लक्ष्य प्राप्ति कार्य योजना" से सक्रिय रूप से जोड़ने हेतु प्रतिवर्ष आयोज्य प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में उनकी सार्थक भागीदारी हेतु स्वीकृति प्राप्त की जाए तथा स्थानीय विद्यालय परिक्षेत्र में निवास करने वाले उनके परिजनों के बालक-बालिकाओं का प्रवेश विद्यालय में करवाने हेतु प्रेरित करवाएं।

इसी प्रकार विद्यालय विकास हेतु राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना "मुख्यमंत्री जन-सहभागिता विद्यालय विकास योजना" के दिशा-निर्देशों एवं प्रावधानों की विस्तृत जानकारी समस्त उपस्थित प्रतिभागियों को प्रदान करते हुए विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं भौतिक आवश्यकताओं के सुदृढीकरण हेतु वांछित आवश्यकता का आकलन प्रस्तुत किया जाए। उक्तानुरूप योजना के प्रावधानानुसार जनसहयोग मद में निर्धारित राशि (कुल लागत का 40%) जुटाने हेतु विकल्प सुझाने अथवा स्थानीय भामाशाहों को प्रेरित करने के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा करते हुए उक्त विषय पर निरन्तर सम्वाद कायम रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

उपर्युक्तानुसार समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में "विद्यालयी पूर्व विद्यार्थी मंच" का गठन एवं आगामी शैक्षिक सत्र में "सखा-संगम" कार्यक्रम का आयोजन प्रदत्त निर्देशानुरूप किए जाने की कार्यवाही समस्त सम्बन्धितों द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता से सम्पादित की जाए।

24

(वी.एल. स्वर्णकार)

आई.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक : 17-04-2017

क्रमांक : शिविरा-माध्य/मा-स/22423/सखा-संगम/2017/191

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
6. प्राचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
7. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
8. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
9. समस्त मण्डल उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को क्षेत्राधिकार में प्रभावी प्रबोधन एवं समुचित पर्यवेक्षण हेतु।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय को क्षेत्राधिकार के जिले में समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्देशों की सुनिश्चित पालना हेतु।
11. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के ई-मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
12. सहायक निदेशक, शाला दर्पण, कार्यालय हाजा को शाला दर्पण पर अपलोड करने हेतु।
13. वरिष्ठ सम्पादक, "शिविरा", कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
14. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा को सूचनार्थ।
15. रक्षित पत्रावली।

www.rajteachers.com



उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर